12.37 hrs.

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### RAILWAY WAGONS AWAITING UNLOADING AT NEW DELHI, GHAZIABAD, LUCKNOW, BAREILLY AND BANARAS RAILWAY STATIONS ETC.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (ग्वालियर): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हू तथा प्रार्थना करता हू कि वे इसके बारे में एक वक्तव्य दें—

"नई दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली और बनारस आदि रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं से भरे माल डिब्बों से माल के न उतारे जाने के समाचार, जिसके कारण बाजार में वस्तुओं की भारी कमी हो गई है तथा रेलों की समग्र माल वहन व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।"

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): Sir, it is a fact that a large number of wagons are held up for unloading in some yards and goods sheds of Northern Railway, particularly the Goods Shed and the Mineral Sidings at New Delhi where the number of such wagons was 661 on 22-8-1974. These wagons contain all sorts of commodities, such as foodgrains, cement, soap, match boxes, paper, tyres, machinery, iron & steel, rubber foam, miscelleneous smalls etc. In addition, consignments to the extent of 302 wagon loads of various commodities already unloaded were lying on the ground in the Goods Shed and Minerals Sidings at New Delhi awaiting removal on 22-8-1974. Because of slower removal of unloaded goods lying on the ground by the consignees, further placement of the loaded wagons in the goods shed has been adversely affected resulting in accumulation of wagons in the yard and restrictions on fresh booking. The number of loaded wagons awaiting placement and unloading at Ghaziabad, Lucknow, Bareilly and Varanasi was 90, 300, 135 and 22 respectively.

Wherever possible, consignees have been contacted for expeditious removal of goods from the shed premises and releasing the detained loaded wagons. Removal notices required under Section 56 of the Indian Railways Act are being served on the owners of the goods. If the goods are not taken delivery thereafter the goods are liable to be auctioned after giving fifteen days' notice of the intended auction through the newspapers under Sections 55 and 56 of the Indian Railways Act. Wharfage and demurrage as per rules is being levied.

As non-release of these wagons would result in delayed supply of essential commodities which in turn would cause avoidable hardship to the general public, it was considered necessary to inform the public through the press about the detentions caused by the trade.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, केवल उत्तर रेलवे में ही नहीं, अन्य रेलों पर भी जरूरत की चीजों से लदे हुए वैगन स्टेशनों पर यार्डों में खड़े हैं। आज ही जयपुर का एक समाचार प्रकाशित हुआ है, मैं उसका एक अंश उद्धृत करना चाहता हूं :

"More than 400 wagons have crowded in and around Jaipur station of Western Railway because of slow clearance of consignments and delay in the unloading of wagons, according to a Western Railway press release. Stranded wagons contain commodities, like, coal, iron, timber and other scarce items. As a result of the crowding, yards and goods sheds at Jaipur are over-flowing with consignments. The Railway authorities feel that booking of wagons for Jaipur may have to be restricted if the unloading and clearance do not improve soon."

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि सारे देश में इस प्रकार जो वैगन जरूरत की चीजों से भरे हैं और जो स्टेशनों पर, यार्ड में खड़े हैं उनकी संख्या क्या है ? बीमारी केवल उत्तर रेलवे तक ही सीमित नहीं है, पश्चिम रेलवे की खबर प्रकाशित हुई है, अन्य रेलों पर भी यही हाल होगा। तो क्या मंत्री महोदय इस स्थिति में हैं कि सारे देश के वैगनों के आंकड़े दे सकें ?

दूसरी बात यह है कि इन वैगनों में जरूरत की चीजें भरी हैं, जरूरत की चीजों का बाजार में अभाव है। क्या यह सच नहीं है कि व्यापारी जानबूझ कर चीजों के भाव बढ़ाने के लिए इन वैगनों में माल लदा छोड़ देते हैं, वैगनों को खाली नहीं करते ? क्या यह भी सच नहीं है कि माल केवल वैगनों में ही नहीं भरा है, रेलों के गोदामों में भी माल पड़ा रहता है, व्यापारी उसे उठाने की आवश्यकता नहीं समझते क्योंकि रेलों में गोडाउन का किराया कम है। और अगर व्यापारियों को प्राइवेट गोडाउन किराये पर लेने पड़ेंगे तो उनका किराया ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। आपको याद होगा जब रेल बजट पर बहस हो रही थी और मैंने मामला उठाया था कि रेल के गोडाउन का किराया कम है, व्यापारी उस में माल छोड़ देते हैं तो रेल मंत्री महोदय ने कहा, इस समय वह सदन में नहीं हैं शायद बिहार की चिन्ता में लीन हैं और उन्हें यहां आने का मौका नहीं मिला, मैं ललित बाबू के बारे में कह रहा हूं, कुरेशी साहब तो सदन में हैं, कल मैं ने टी० वी० में देखा वह रेलवे स्टेशन पर गये थे. . . . .

**अध्यक्ष महोदय** : टी० वी० पर तो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : वह तो पहले ही खूबसूरत हैं। मगर सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमीशन ने, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्टों में इस बात पर बार-बार बल दिया है कि रेलवे के डेमरेज चार्जेज कम हैं जिसका नतीजा यह होता है कि व्यापारी रेलों के गोदाम में या प्लेटफार्म पर या डिब्बों में माल छोड़ना लाभदायक समझते हैं। उठा कर ले जाना, अपने घर पर रखना और छापे पड़ने का खतरा मोल लेना इस को वह पसन्द नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय, सदन यह भी जानना चाहेगा कि क्या रेल मंत्रालय इतना असहाय हो गया है, क्या रेल मंत्रालय इतना निरुपाय है, क्या सरकार इतनी निकम्मी है, क्या सरकार के पास इन डिब्बों को खाली कराने के लिये अधिकार नहीं है कि उसे प्रेस रिलीज द्वारा जनता को बताना पड़ता है कि व्यापारी माल नहीं उठाते इसलिये बाजार में माल की कमी है, इसलिये भाव बढ़ गये हैं, भला हम क्या कर सकते हैं ? आप इन के वक्तव्य का आखिरी परिच्छेद देखिये :

> "चूंकि इन माल डिब्बों के खाली न किये जाने के फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में विलम्ब होगा जिस से सामान्य जनता को परिहार्य कठिनाई होगी, इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि व्यापारियों द्वारा विलम्ब किये जाने के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को सूचित किया जाये।"

क्या रेल मंत्रालय की इतनी जिम्मेदारी है ? क्या रेल मंत्रालय डिब्बे खाली नहीं करा सकता ? क्या संकटकाल में डिब्बे खाली कराने का अधिकार नहीं है ? जो व्यापारी जानबूझ कर माल डिब्बों में भरे हुए हैं और बाजार में बनावटी कृत्रिम अभाव पैदा कर रहे हैं क्या उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जा सकती ?

अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि अभी जो रेलवे ऐक्ट है उस के अन्तर्गत 7

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

दिन का नोटिस, 15 दिन का अखबारों में ऐलान, 22 दिन की कार्यवाही जरूरी है। रेल कर्मचारी के खिलाफ डी० आई० आर० एम. आई. एस. ए., सेन्ट्रल रेलवे रिजर्व पुलिस, सब कुछ हो सकता है, रेल कर्मचारियों की उचित मांगों को दबाने के लिये सरकार दमन के सारे हथियार अपने शस्त्रागार में से निकाल सकती है, मगर व्यापारियों को सीधी राह पर नहीं ला सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रेलवे ऐक्ट में संशोधन करने का विचार कर रही है ? क्या यह संशोधन इसी सत्र में लाया जायेगा ? क्या 22 दिन तक रेलों के वैगनों में व्यापारी अपना माल भरे रहें इस बात की छूट देना बन्द कर दिया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय, यहां स्टेशनों पर डिब्बे पड़े हैं, दूसरी ओर बम्बई में रेल वैगनों की कमी से नमक नहीं पहुंच रहा है, दिल्ली में साबुन अनाज की कमी है, देश के कई भागों में सीमेंट टायर की कमी है और वैगन यहां व्यापारियों द्वारा रोक कर रखे गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कौन सी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है जिस से कि व्यापारी ठीक रास्ते पर आयें, वैगन न रुकें। कौन सी कठिनाई है कि वैगनों में जो माल पड़ा हुआ है उस को सरकार ले कर औक्शन कर दे ? क्या डी०आई० आर० में यह नहीं हो सकता ? मंत्री महोदय कहते हैं कि हम माल जब्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर जब्त नही कर सकते तो माल निकाल कर उस को नीलाम तो कर सकते हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि अगर नीलाम करेंगे तो वही व्यापारी फिर से ले जायेंगे। क्या वह माल सुपर बाजार में नहीं बेचा जा सकता ? क्या कोआपरेटिव, जो सरकार की कोआपरेटिव्ज हैं, वे माल प्राप्त नहीं कर सकतीं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय रेलवे मंत्री हम को यह भी बतायें कि जब वह रेलवे स्टेशन पर गये थे तो क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई थी, मैं ने टेलीविजन पर सुना कि रेलवे के एक अफसर ने यह कहा था कि व्यापारियों ने इसलिये माल नहीं उठाया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। यह व्यापारियों का बचाव करने वाले कौन से रेलवे के अफसर हैं .... (व्यवधान)। मैं ने टेलीविजन पर सुना कि इन्टरव्यू करने वाले रेलवे आफिसर ने कहा था कि माल न उठाने की वजह यह भी थी कि व्यापारियों के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो उचित दाम दे कर मिल लिया जा सकता है। उनको पैसा दिया जा सकता है लेकिन रेलवे आफिसर को उनकी वकालत करने की क्या जरूरत है ? कोई सांठ-गांठ तो नहीं है ?

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी** : सांठ-गांठ का जो आखरी सवाल इन्होंने किया है उस के मुतालिक मैं यह अर्ज करूं कि अगर सांठ-गांठ होती तो हम खुद प्रेस में जा कर यह इत्तिला क्यों करते कि इतना माल जमा है। हम ने व्यापारियों को अलग अलग कांटेक्ट करने की कोशिश की टेलीफोन से और दूसरे जरिये से और बाद में आम जनता को और व्यापारियों को भी इन्फार्मेशन दी कि रेलवे गोडाउन्स में उन का माल पड़ा है और वे आकर उठा कर उस को ले जायें। यह बात ठीक है कि दो तीन वर्ष से यह देखने में आया है कि जिस चीज की किसी इलाके में अगर कमी पैदा हो जाती है, तो अनस्क्रूपुलस व्यापारी रेलवे गोदाम से और रेलवे वैगनों से माल नहीं उठाते और उन का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। वे उस पर डेमरेज या वारफेज देते हैं लेकिन फिर भी वह जल्दी माल नहीं उठाते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ने साल 1972 में वारफेज और डेमरेज बढ़ा दिया था और जो फोरबोक्स वैगन्स हैं उन को हमने पहले दिनका डिमरेज 134 रु० 40 पैसा किया, दूसरे दिन का 295 रु० 68 पैसे किया और तीसरे दिन का 510

रुपये 72 पैसे किया और वारफेज के चार्जेज भी पहले दिन के 112 रुपये से बढ़ा कर तीसरे दिन के 470 रुपये कर दिये थे लेकिन इस के बावजूद भी हम देखते हैं कि जब कीमतें बढ़ रही हैं तो ये व्यापारी ऐशेंसियल कामोडिटीज जो हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, उन को नहीं उठाते हैं और आज दिल्ली में यह हालत पैदा हो गई है। इस का इलाज अगर नियमों के जरिये देखा जाए, तो जब रेलवे वैगन्स का प्लेसमेंट हो जाता है गुड्स शैड् के सामने तो 5 घंटे का फ्री टाइम मिलता है व्यापारियों को। 5 घंटे का फ्री टाइम खत्म होने के बाद उस पर डेमरेज लगता है। अगर माल वैगन मे उतार दिया जाए और गोदाम में रखा जाए, तो 24 घंटे का टाइम मिलता है। अगर नहीं उठाते हैं तो वारफेज उस पर लगता है और उस के बाद अगर माल न उठायें तो 7 दिन के बाद उस को नोटिस दिया जाता है और 15 दिन का मजीद नोटिस दे कर 22, 25 दिन सर्फ हो जाते हैं। उस के बाद माल नीलाम करने के लिए भेज दिया जाता है और सांठ-गांठ वहां भी होती है—व्यापारी लोग आपस में मिल जाते हैं और नीलाम का रेट मुकर्रर करके उस की इतनी कम कीमत लगाते हैं कि रेलवे का किराया भी पूरा नहीं होता है। इन चीजों को देखते हुए और यहां पर हमारे जो आनरेबिल मेम्बर्स हैं, उन्हों ने भी देखा है कि इस में बड़ी तश्वीश है, हम ने यह फैसला किया है कि 22 दिन का टाइम घटा कर 7 दिन कर दिया जाए और अगर 7 दिन के बाद कोई व्यापारी माल लेने न आए, तो उस माल को सुपर बाजार या गवर्नमेंट के कोआपरेटिव स्टोर्स में भेज दिया जाएगा हालांकि इस तरह की पावर्स अभी हमारे पास मौजूद नहीं हैं लेकिन इस के लिए रूल्स को एमेंड करना पड़ेगा। मैं ने मौके पर पहुंच कर देखा है कि इस चीज का मुकाबला फौरी तरीके से इसी तरह से किया जा सकता है कि 22 दिन की बजाए 7 दिन इस को कर दिया जाए और अगर 7 दिन में भी कोई माल न उठाए तो सुपर बाजार या काआपरेटिव स्टोर्स को उस को भेज दिया जाए और आम जनता की जरूरत की चीजें उसको मिल सकें।

यह भी सही बात है कि और जगहों पर भी इस किस्म की बातें हो रही हैं लेकिन ये जो नये रूल हम बनाएंगे, इस पर अमल करने के बाद इस का असर देखेंगे कि क्या होता है। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है लेकिन हम ज्यादा सख्ती करना नहीं चाहते। यह जो तरीका हम अपनाना चाहते हैं अगर इस के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो जरूरी चीज है कि शायद कानून में हम को किसी किस्म का ऐमेंडमेंट करना पड़े और मुझे यकीन है कि उस में हमें आप की सहायता मिलेगी।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि एक रेलवे आफिसर ने एक संवाददाता को टेलीविजन पर जो इंटरव्यू दिया कि बहुत से व्यापारियों ने माल इसलिये नहीं उठाया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, व्यापारियों के पास कहां से आए, यह उन का काम है कि उस का इन्तजाम करें लेकिन रेलवे आफिसर को उन की वकालत करने की क्या जरूरत है ?

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी** : मुमकिन है यह उन की परेशानी हो, लेकिन मैं ने इसलिये कहा है कि अगर माल नहीं उठाया गया, तो उस को सुपर बाजार भेज दिया जाएगा। मैं ने इस बात को नहीं माना है कि क्रेडिट स्लबीज की वजह से उन्हों ने माल नहीं उठाया। यह बात गलत है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आफिसर के बारे में क्या राय है। ... (**व्यवधान**) ...

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : सब से पहले मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ने जिन लोगों को काल-ऐटेन्शन

[श्री एस० एम० बनर्जी]

का नोटिस दिया, उस को आप ने कबूल किया। मगर अध्यक्ष महोदय, आज कल दिल्ली शहर में कम्युनिस्ट पार्टी के वालंटियर्स और उन के लीडर्स लगभग 125 आदमी से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं और उन का कसूर सिर्फ यह है कि जहां पर वेगन्स पड़े हुए थे वे चाहते थे कि उन से माल निकाला जाए। मेरा कहना यह है कि जहां पुलिस ने उन 125 वालंटियर्स को गिरफ्तार किया है वहां अगर 5 व्यापारियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद वे नहीं उन के अच्छे अच्छे उस माल को वापस ले जाते।

अध्यक्ष महोदय, आप यह देखें कि काफी दिनों से यह चीज चली आ रही है और रेलवे बोर्ड को इस के बारे में मालूम है। हमेशा यह चीज होती है कि जिस चीज की स्केयरसिटी पैदा करनी है तो उस की डिलिवरी नहीं लेते। चाहे जहाज से माल आए या वेगन्स से आए उस को उठाया नहीं जाता है और स्केयरसिटी पैदा कर दी जाती है क्योंकि उन को मालूम है कि जितना डमरेज या वारफेज उन को देना पड़ेगा उस का 20 गुणा वे कमा लेंगे ज्यादा दाम बढ़ाकर। इसलिए म कुरेशी साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह जहमत गंवारा की कि वे स्टेशन पर गये और उस का कुछ असर पड़ा है लेकिन म चार्ज करना चाहता हूं रेलवे के बड़े-बड़े अफ़सरान को जिन का हाथ इस में है। वेगन के एलाटमेंट में उन का हाथ है वेगन्स को साइडिंग में ले जाने में उन का हाथ है और क्लियरेंस करने और वारफेज वगैरह में और डेमरेज को माफ कर देने में उन का हाथ है और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस की पूरी जांच हो कि व्यापारियों और रेलवे बोर्ड में, ये मगर सेठ और नौकरशाह, इन दोनों में कोई सांठ-गांठ तो नहीं है और में कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस के शिकार न बन क्योंकि देखा यह गया है कि क्या दिल्ली, गाजियाबाद और दूसरी जगह, जिन के बारे में मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, जयपुर में भी अखबार में आया है, 400 वैगन्स इस तरह के पड़े हुए हैं और पहले यहां पर जब यह कानून पास हुआ था तो कुछ लोगों ने एतराज किया था कि समय बहुत कम है और उन लोगों को माल लेने के लिए कुछ ज्यादा समय दिया जाए और कुछ लोगों ने इस के बारे में प्लीड भी किया था लेकिन उस वक्त माननीय रेल मंत्री जी ने कहा था कि हम उन को ज्यादा समय देना नहीं चाहते क्योंकि वे माल को दानिश्ता वहां पर डाले रखेंगे। इस तरह से ज्यादा समय लेने की यह एक साजिश थी और में चाहता हूं कि इस चीज का मुकाबला करने के लिए कोई तरीका ऐसा निकाला जाए जिस से व्यापारी जल्दी माल ले सकें.. (व्यवधान)। इस में कड़े तरीके से कुछ किया जाए क्योंकि कानून के मुताबिक हम उन को माल जबर-दस्ती दे नहीं सकते, उन को नोटिस देना पड़ेगा और उस में वक्त लगेगा। माननीय मंत्री जीने बड़ी हिम्मत की जो यह कहा कि माल को सुपर मार्केट में भेज देंगे लेकिन अगर बड़े मंत्री या प्रधान मंत्री जी को यह मालूम हो जाएगा, तो वे गश खा कर गिर जाएंगे .... (व्यवधान) ....। इसलिए कुरेशी साहब ने जो यह जिम्मेदारी के साथ कहा है, इस के लिए मैं उन को बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। रेलवे बोर्ड के अफसर उनके साथ मिले हुए हैं तो उनके बारे में आपको जांच करानी होगी।

कानून की बात कही जाती है। कानून की और नोटिस की बात कही जाती है। जब रेलवे स्ट्राइक हुई थी तो क्या यह सच नहीं है कि रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवार वालों के सामान को बिना किसी नोटिस के उनके क्वार्टरों से बाहर फिकवा दिया गया था? तब कौन सा कानून

था रेलवे बोर्ड के पास ? क्या कोई नोटिस दिया गया था ? रात की तारीकी में इस को बाहर फिकवाया जा सकता है तो यहां नोटिस की क्या जरूरत है ? वैगेंज में सामान नहीं उतारा जा रहा है या रेलवे प्रैमिजिज में सामान पड़ा हुआ है तो उसके लिए नोटिस की क्या जरूरत है । यह काम तो दिन के उजाले में भी आप कर सकते हैं । जब रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के लोगों को रेल कर्मचारियों से निपटने के लिए कहा गया था हड़ताल के दौरान तो वे उनके सामने लाल पीली आंखें करके जाते थे, उनको डराते धमकाते थे लेकिन वही पुलिस वाले जब सरमायेदारों के सामने जाते हैं तो उनका सारा गुस्सा सलाम में बदल जाता है । ऐसा क्यों है ? मैं चाहूंगा कि कुछ व्यापारियों को पकड़ कर बाकायदा हथकड़ी लगाई जाए और उनको सड़कों पर घुमाया जाए और घुमाने के बाद जेल भेज दिया जाए । जब तक ये जेल में नहीं जाएंगे, जेल की रोटी नहीं खाएंगे, सी क्लास में इनको रखा नहीं जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुछ नहीं होगा । आपने फाइन किया तो उससे कुछ नहीं होगा । फाइन वे दे देंगे । यह जो मिली भगत है इसकी इनक्वायरी अगर आप करा सकते तो पालियामेंट्री कमेटी से करवाएं या कुरेशी साहब जिन जिन सोर्सेज से, इंटेलीजैंस से इनवैस्टीगेशन करवा सकते हों तो उन से क्या करवाने के लिए तैयार हैं ताकि तमाम चीजें सामने आ सकें ?

जिन लोगों ने डीहोर्डिंग कम्पेन में भाग लिया था बजाय इसके कि उनको इसके लिए बधाई दी जाती, उनकी प्रशंसा की जाती, उनको गिरफ्तार किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको छोड़ा जाएगा ?

**13.00 hrs.**

एक बात और अगर इस काम में, जो माल जमा हो गया है उसको निकालने में जल्दी नहीं की गई, एक्सप्रैस जल्दी नहीं लिया गया, तो हमारे जो लोग गिरफ्तार हुए उनको छोड़ा जाए या न छोड़ा जाए, हमारी जो मुहिम है इसको हम फिर शुरू करेंगे, होर्डिंग के खिलाफ आन्दोलन करेंगे और मैं आशा करता हूं कि हमें आपका समर्थन प्राप्त होगा । नगर सेठ और नौकरशाह इसकी जो साजिश है उसके खिलाफ हम लोगों को उठना पड़ेगा और उसके खिलाफ मोर्चा लेना पड़ेगा, फिर चाहे उसके नतीजे कुछ भी हों ।

क्या आप कमेटी का निर्माण करेंगे ताकि इनवैस्टीगेशन पूरा-पूरा हो ?

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी :** ज्यादातर इन्होंने तजवीजें ही रखी हैं । उन पर ज्यादातर अमल भी किया गया है । रेलवे का जो मौजूदा नियम है उस में कनफिसकेशन की हमारे पास ताकत नहीं । लेकिन अब हमने फैसला किया है जो जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं पब्लिक कंजम्पशन की वे सात दिन के अन्दर अन्दर क्लीयर नहीं होंगी तो स्टेट गवर्नमेंट्स को इत्तिला दी जा रही है डायरेक्टर सिविल सप्लाइज को इत्तिला दी जा रही है कि वे चाहे उसको कनफिसकेट करें और अगर ऐसा वे नहीं कर सकते हैं तो जैसे कहा है सुपर बाजार या कोआपरेटिव सोसाइटीज को ये चीजें बेचने के लिए दे दी जाएं ।

जहां तक व्यापारियों को पकड़ने का या मुंह काला करके घुमाने का सवाल है स्टेट गवर्नमेंट्स ही ज्यादा इस पर अमल कर सकती हैं । हम तो फ्लेस्ट कोआपरेशन स्टेट गवर्नमेंट्स को दे सकते हैं.....

**श्री एस० एम० बनर्जी** दिल्ली में तो आप करिये ।

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी :** स्टेट गवर्नमेंट्स को बाकायदा इसकी इत्तिला दी है ।

[ श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी ]

टेलीफोन पर भी बात की है । हमने रूल बदल दिया है ताकि आम जनता के इस्तेमाल की जो चीजें हैं उनका कब से कम डिटेंशन रेलवे प्रेमिजेज में, शैड्ज में हो । इसके वास्ते जो भी कोआपरेशन स्टेट गवर्नमेंट्स चाहेंगी हम देने को तैयार हैं ।

SHRI S. M. BANERJEE: I want to know whether the officials are in league with those persons. I want a Committee or a Commission or a Central Agency to investigate into the wild charges that have been levelled against some of the officials who are in league with businessmen.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I have answered this question earlier also. Some hon. Members had already suggested that there were some collusions between railway employees and traders. It is a fact that government officials themselves disclosed this thing to the press that accumulations of essential commodities had gone up in various railway godowns. So, they went round and informed the traders and also the general public about this. There is no question of any collusion between the railway employees and the traders. If there is a specific case, certainly, we shall look into and it will be dealt with severely.

**श्री महेन्द्र सिंह गिल** (फिरोजपुर) : मंत्री महोदय ने जो कदम उठाया है वह श्लाघा योग्य है । साथ ही यह जो कहा है कि कोआपरेटिव स्टोर और सुपर बाजार में यह सारा माल भेज दिया जायेगा उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। इनको चाहिए था कि डी०सी० और डी०एस०पी०, एस०पी० वगरह को भी इसके बारे में पावर्ज दी जाती । सात दिन तक भी क्यों वे माल को यहां रोके रखना चाहते हैं जबकि आजकल बाजार में शार्टेज उस चीज की चल रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे कोई सांठगांठ तो उनके साथ विरोधी दलों की नहीं है ? क्या इसकी इनक्वायरी गृह मंत्रालय से मिल कर वह करायेंगे ? जो बड़े बड़े व्यापारी हैं इनकी कहीं इनके साथ मिली-भगत तो नहीं है और क्या ये रुकावटें पैदा तो नहीं कर रहे हैं ? क्या ये यह तो नहीं चाहते है कि शार्टेज हो, भाव बढ़ जायें और हिन्दुस्तान में अफरा-तफरी मच जाये ? क्या गृह मंत्रालय से ये इसकी इनक्वायरी करायेंगे कि विरोधी दल वाले जो हैं या जन संघ वाले जो हैं ये इनके साथ मिल कर ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे लोगों की तकलीफें बढ़ें, भाव ऊंचे जायें और अफरा-तफरी मच जाये ?

**अध्यक्ष महोदय** : जब फैसला हम लोगो ने किया हुआ है कि किसी पार्टी का नाम नही लेना है तो आप ऐसा क्यों करते हैं ?

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी** : मैं बता चुका हूं कि पहले व्यापारी को 22 दिन का समय दिया जाता था लेकिन अब उसको सात दिन ही कर दिया जायगा । ईमानदार व्यापारी को तकलीफ होती थी तो कभी-कभी वह एक महीने तक भी नहीं छुड़ाता था । जो व्यापारी बदमाशी करना चाहे वह ऐसा न कर सके इसलिए सात दिन का वकफा मुकर्रर किया है ।

जहां तक सांठगांठ का ताल्लुक है, हमारे अफसरों ने खुद हमें यह इत्तिला दी है। पोलिटिकल पार्टीज की कोई इसमें सांठगांठ हो इसकी कोई इत्तिला हमारे पास नहीं है ।

**श्री अनेश्वर मिश्र** (इलाहाबाद) : रेल विभाग बहुत ही अलमस्त विभाग है । 26 अगस्त के 'नवभारत टाइम्ज' में कुरैशी साहब का एक बयान छपा था । उसमें इन्होंने कहा था कि जरूरी सामान की जमाखोरी के इन नये तरीकों को रोकने के लिए रेल विभाग जो कुछ कर सकता है, करेगा । पर माल को जब्त करने या कोई पुलिस कार्रवाई

करने का अधिकार उसे नहीं है। रेलवे प्रशासन 22 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद ही माल की नीलामी कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बेसहारा ये लोग हैं। कोई कार्रवाई ये कर नहीं सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि मंत्रियों की आपस में खींचतान चलती रहती है। लगता है कि गृह मंत्री और रेल मंत्री की भी आपस में खींचतान है। अगर ऐसी बात है तो ये जरायम चलते ही रहेंगे और हम लोग खाली ध्यान इनका इसकी ओर आकर्षित करते रह जायेंगे। मुझे नहीं पता कि जो कुछ इन्होंने कहा है उसके बारे में प्रधान मंत्री से पूछा है या नहीं पूछा है। इसका कारण यह है कि पांच सात दिन पहले रेल कर्मचारियों के बारे में इन्होंने एक बयान दिया था और उसके बाद रेल मंत्री जी ने दूसरा बयान दे दिया और प्रधान मंत्री ने दो दिन बाद बयान दे दिया और कह दिया कि केबिनेट की ज्वायंट रिसपांसिबिलिटी है और मंत्री क्या बयान देते हैं व्यक्तिगत तौर पर इस पर सरकार का फसला मुनहसर नहीं करता है। तो डर लगता है जब ये जवाब देने लगते हैं कि पहले पूछ लिया है कि नहीं इन्होंने क्योंकि वाकई ये असहाय लगते हैं।

अब हम को ऐसा कभी कभी लगता है कि रेल कानून में बहुत से छेद हैं। हरजाने के नाम पर या ब्हारफेज के नाम पर ये जिस तरह से व्यापारियों से पैसे वसूल करते हैं उसमें आम तौर से ये उनको माफ करते है। वे आते है और कई बहाने बनाते हैं। हम ने भी रेलवे स्टेशनों पर माल गोदामों में जा करके बाबूओं से सवाल किया तो वे यही कहते हैं कि व्यापारी कई बहाने बनाता है। एक तो बनाता है जगह का कि हमारा सामान फलां जगह उतारा जाय तो हमें सहूलियत होगी। तो इनके अधिकारी लोग जब वैगन एलाट करने लगते है तो उनसे कुछ सौदा करते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार कैसे सामान अनलोड किया जाय। एक यह तर्क होता है और उसके पीछे कहा करते हैं कि अगर दिल्ली स्टेशन पर उतारा गया था कानपुर स्टेशन पर उतारा गया तो वहां मजदूर मुश्किल से मिलते हैं, यह श्रम का बहाना बनाते हैं।

दूसरा बहाना बनाया करता है व्यापारी कि सील टूट गई है और उसमें साजिश रहा करती है, जब रेल के वैगन चलते रहते हैं, सील बन्द रहती है तो कोई इनका कर्मचारी या व्यापारियों का आदमी आ कर सील धीरे से तोड़ देता है। वह कोई मजबूत सील नहीं हुआ करती और तब वे कहा करते हैं कि हम नहीं उतारेंगे और इसमें 25–30 दिन तक, पूरे महीने तक वैगन खड़ा रहता है। इनके अधिकारी और कर्मचारी सब खड़े देखते रहते हैं और दोनों की लेनदेन चलती है। जैसा अटलजी ने कहा कोई सांठगांठ रहती है क्या और जैसा एस० एम० बनर्जी ने इशारा किया कि कर्मचारियों में और व्यापारियों में कोई सांठगांठ होती है क्या, नौकरशाहों और थलीशाहों में कोई सांठगांठ है क्या? तो यह सांठगांठ मेरे ख्याल में नौकरशाह, थलीशाह और नेताशाह तीनों की होती है, तीनों का तिगड्डा बना हुआ है और तीनों की सांठगांठ रहती है।

दूसरी बात—एक तरफ तो मालगाड़ी के डिब्बों के अभाव में जैसा कि अभी बताया गया कि बम्बई में नमक दो रुपये किलो बिकने लगा और कच्छ के रन के आसपास नमक का काम करने वाले मजदूर आज बेकार होने की हालत में आ गये हैं। यह आज अखबारों में छपा हैं। दूसरी तरफ यह केवल व्यापारियों वाली बात नहीं है, अनलोडिंग वाली बात नहीं है। जिस किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइये, हर स्टेशन पर दो-चार रेलगाड़ी के डिब्बे फालतू पड़े रहते हैं, मरम्मत के नाम पर खाली रहते हैं। मरम्मत के नाम पर खाली रहने का एक ही कारण होता है कि उसके लिए जिस मसाले की जरूरत होती है ब्रास की, जूट की, तेल की या और कोई मसाला होगा, ये सारे के सारे मसाले वहां के अधिकारी और कर्मचारी चोरी से

बेच दिये रहते हैं और सालों साल वे डिब्बे वहीं खड़े रहते हैं। जब कभी उधर से जाइये, उसी नम्बर का डिब्बा वहां खाली पड़ा मिलेगा। तो क्या उन डिब्बों की मरम्मत के लिए भी कभी आप ने सोचा है? हालांकि इस कालिंग अटेंशन से उसका रिश्ता नहीं निकलता लेकिन सोचना चाहिए।

तीसरा जो मैंने अलमरत कहा रेल विभाग को, उसके पीछे मेरा तर्क है कि इनकी मालगाड़ी का डिब्बा रनिंग पोजीशन में कहां है उसके व्हेयर एबाउट्स के बारे में रेल मंत्रालय को, इनकी सरकार को कोई जानकारी नहीं है। कभी-कभी ये सालाना सेंशर करते हैं तो भी उसमें 20—30 प्रतिशत का पता ही नहीं रहता कि वह डिब्बा कहां है और इस हालत में यह तय है कि डिब्बे में और माल की ढोवाई में कमी पड़ेगी ही।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, असल में सवाल के साथ-साथ इनको समझा देना भी जरूरी होगा, नहीं तो ये टाल देते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** सिर्फ एक ही सवाल कर सकते हैं या फिर जोड़ जाड़ कर करिये। एक से ज्यादा नहीं कर सकते।

**श्री जनेश्वर मिश्र :** चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब ये व्यापारियों से माल की ढोवाई लिया करते हैं तो इनका कोई नियम होना चाहिए कि डिब्बा जब रनिंग पोजीशन में रहता है तो उसकी आमदनी क्या होती है क्योंकि रेलवे मुहकमा एक व्यापारिक मुहकमा भी है, केवल सरकारी मुहकमा नहीं है, तो माल की ढोवाई में डिब्बा अगर रनिंग पोजीशन में रहे तो कितना कमायेगा और एक दिन, दो दिन या तीन दिन जितने भी दिन रुका रहा तो क्या आप व्यापारियों से उतना चार्ज करते हैं? नहीं करते हैं उस हिसाब से तो मैं कहूंगा कि केवल नौकरशाह दोषी नहीं है, इनकी नीतियां भी दोषी हैं।

फिर बड़े-बड़े व्यापारियों को मालगाड़ी के डिब्बे एलाट करने में या मालगाड़ी एलाट करने में ये घूस लिया करते हैं और हम को तो यहां तक खबर लगी है कि झरिया की कोयला खान से एक मालगाड़ी एलाट करने में साठ-साठ हजार रुपये की रिश्वत रेल मंत्रालय लिया करता है। रेल मंत्रालय की जो हालत है कपूर आयोग को लेकर के, अभी हम जागरण अखबार पढ़ रहे थे तो पहली हेडिंग उसमें है कि रेलवे मंत्री पर कानपुर की फर्मों के लाखों रुपये हैं। यह सारा देखने के बाद हमको कभी-कभी लगता है कि जैसे कोई चमड़े का घर हो और रखवाली में कुत्ता रख दिया जाय तो सामान रुक जायगा?

**अध्यक्ष महोदय :** देखिए यह बहस के लिए तो होता नहीं, प्रश्न के लिए होता है। थोड़ी सी भूमिका उसमें लग जाती है लेकिन आप तो तमाम दुनिया की बातें एक में ही करना चाहते हैं। दो तीन चार मिनट में प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए और मैं तीन-चार मिनट से घंटी बजा रहा हूं, जब मैं बताता हूं तो आप उधर मुंह कर लेते हैं।

**श्री जनेश्वर मिश्र :** मैं एक दो सवाल करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** एक ही कर सकते हैं नियम के मुताबिक। लेकिन आप ने एक में ही एकाध जोड़ लिया, वह भी मैं चुप रहता हूं, लेकिन आप तो हटने का नाम ही नहीं लेते। यह बहुत ही गलत है। सारी बात गलत कर रहे हैं आप।

**श्री जनेश्वर मिश्र :** तो एक तो मैंने मरम्मत वाली बात की कि मरम्मत के नाम पर जिस तरह से मालगाड़ी के डिब्बे स्टेशनों पर पड़े रहते हैं उसके बारे में मंत्री जी क्या करेंगे? दूसरे जिस तरह से व्यापारी लोग

यह कहा करते हैं कि मजदूर नहीं है तो क्या मंत्री जी ऐसा करेंगे कि अपने रेल मुहकमे की तरफ से परमानेंट एम्प्लाई रखेंगे और बुकिंग करते समय वे व्यापारियों से उन एम्प्लाईज का भी चार्ज ले लेंगे तथा जैसे ही स्टेशन पर आता है वे ही कर्मचारी सामान उतार देंगे और मजदूर का बहाना व्यापारी नहीं बना पायेगा। अन्त में भारत सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार कोई संसदीय समिति ऐसी बिठायेगी जो पूरे रेलवे मुहकमे में हिन्दुस्तान की खाद्य व्यवस्था या महंगाई को और भी जटिल बनाने की जो साजिश चल रही है उस साजिश का पर्दा-फाश कर सके जिससे देश की जनता के सामने सफाई हो सके?

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी :** मिश्रा जी ने जो पहले शुरू किया और जो बाद में कहा अगर उस हद तक ही अपने को रखते तो मैं समझता कि इनको बड़ी फिक्र है कि जनता को चीजें बड़ी महंगी मिल रही हैं। लेकिन बीच में जो कुछ उन्होंने कहा यह तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अपोजीशन के लोग जो हैं वे छोटी छोटी बातों में उलझ कर असल मसले की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं समझता था कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मसले को बड़े ही सीरियस तरीके से उठाया है और लोग भी शायद उनकी पैरवी कर रहे हैं ऐसी बात करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय में गृह मंत्रालय के साथ तालमेल नहीं है। यह गलत बात है। यह भी इल्जाम लगाया कि जो मैं बयान देता हूं उस पर शायद मुझे डांट पड़ेगी। जो बयान मैं देता हूं जिम्मे-दारी से देता हूं और उसमें किसी किस्म की कांट्रेडिक्शन नहीं है क्योंकि जो कुछ भी मैं कहता हूं वह गवर्नमेंट की पालिसी के बिलकुल मुताबिक होता है और ऐसी बात नहीं है कि इतनी भी ताकत हमारे पास नहीं है कि हम कुछ भी करना चाहें तो न कर सकें लेकिन कहां-कहां अड़चन होती है जैसे मैंने खुद ही बयान में पढ़ा कि 26 तारीख को जो बयान दिया है उस पर अमल किया गया है और टाइम घटा कर 22 दिन से 7 दिन का कर दिया जायेगा। तो जाहिर है कि जो बातें इन्होंने उठाईं, जो कालिंग अटेंशन का मसला था उसका जवाब मैंने दे दिया बाकी जो भी इल्जाम लगाये वह तो मैं समझता हूं कि एक भी इल्जाम ऐसा नहीं कि जिसे वे सबस्टें-शिएट कर सकें।

**श्री जनेश्वर मिश्र :** नहीं, जैसे मैंने कहा है कि व्यापारी यह बहाना लेता है कि हम को मजदूर नहीं मिलते इसलिए सामान नहीं उतारते या यह बहाना बनाते हैं कि सील टूट गई है उसका तो जवाब दीजिये। बाकी बात आप को बुरी लगती है, कटु लगती है तो बात दूसरी है।

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी :** नहीं, बुरी नहीं लगती है। आप की जो अच्छी बात है उसको तो पसंद ही करूंगा। जो बुरी बात कहेंगे उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि वह मत करिये। इन्होंने इल्जाम लगाया कि मिलीभगत है व्यापारियों और कर्मचारियों की कि व्हारफज लगा देंगे और बाद में माफ कर देंगे, यह बात गलत है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं 20 दिन के 1 सितम्बर से 20 सितम्बर के, इसमें व्हारफेज दिल्ली एरिया में 16,157 रुपया लगाया गया और 15,910 रुपये वसूल किये गये। 98.5 परसेंट वसूल किया गया।

**श्री जनेश्वर मिश्र :** एक वैगन रनिंग पोजीशन में जितना कमाता है क्या उतना जुर्माना आप उनसे लेते हैं? क्योंकि इसमें रेलवे मुहकमे का नुकसान होता है।

**अध्यक्ष महोदय :** पहले अपनी बारी में बोलते हैं फिर दूसरे की बारी में बोलते हैं। जब आप कह रहे थे तो वह भी दरमियान में उठ सकते थे, लेकिन वह नहीं उठे, बड़े सब्र से उन्होंने सुना तो अब आप भी परेशान मत

[ अध्यक्ष महोदय ]

कीजिये। आप ने अच्छी बात कही या उनकी मर्जी के खिलाफ बात कही मगर उन्होंने सुना तो आप भी सुनें।

**श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी** : मैं ने कहा कि टोटल डेमरेज जो लगाया गया वह 16,157 रुपये था, उसका 98.5 प्रतिशत लिया गया। इसी तरह से वारफेज तकरीबन 2 लाख 4 हजार रुपये था, उसमें 85 प्रतिशत के करीब रिकवर कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सब माफ़ किया जाता है। लेकिन यह जरूर है कि किसी-किसी खास मौके पर व्यापारियों को मुश्किल होती है तो उसको देख कर थोड़ा बहुत कम कर दिया जाता है, लेकिन बिलकुल माफ़ नहीं किया जाता है।

जहां तक एसेन्शल कमाडिटीज का ताल्लुक है हम नियम में तबदीली करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें कोई माफ़ी न हो और जो लगाया जाये उसकी पूरी रिकवरी की जाये।

जहां तक उनकी दूसरी एलीगेशन्ज का ताल्लुक है, वे बिलकुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं।

**श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा)** : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज सदन में इस काल-एटेन्शन के जरिये चर्चा हो रही है, यह एक ऐसा विषय है जिससे एक नई बात का पता लगता है कि हमारे देश के व्यापारी आज देश में जो अभाव की स्थिति है उसमें किस कदर अपनी अक़्ल से काम लेकर जनता को चीजों के मिलने में कठिनाइयां पैदा करते हैं। असल में हमारे देश में महंगाई चीजों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि व्यापारियों की बुद्धि के कारण जो अभाव की स्थिति पैदा होती है, उसके कारण महंगाई बढ़ती है।

मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे शफ़ी साहब ने यह आश्वासन दिया है कि वे रेलवे रूल्ज में संशोधन करेंगे और सात दिन के अन्दर ही माल को डिस्पोज आफ़ करने की कार्यवाही करेंगे। मैं इस आश्वासन को मानते हुए यह जानना चाहता हूं कि जब रेलवे एक्ट की धारा 55 और 56 के तेहत एक निश्चित अवधि तय है, तो फिर क्या वे रूल्ज में संशोधन करके उस एक्ट के प्रावधान को बदल सकेंगे? क्या उन्होंने इस बात को एक्जामिन कर लिया है?

इसके साथ-साथ उनको यह भी देखना जरूरी है कि जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब वे माल को नीलाम करते हैं तो व्यापारी सांठगांठ करके उस माल का उतना दाम नहीं उठने देते, जो कि उसकी असली कीमत है, इस लिये हम उस माल को सुपर बाजार के जरिये या कोआपरेटिव स्टोर के जरिये बिकवायेंगे। क्या रेलवे कानून के अन्तर्गत जो नीलाम की व्यवस्था है, उसको आप रूल्ज के जरिये बदल कर यह अधिकार लेने के लिये सक्षम हैं। यदि ऐसा सम्भव न हो तो आप को रेलवे कानून में संशोधन करना पड़ेगा। सिर्फ माल बिकवा देने से काम नहीं चलेगा, माल को नीलाम कर देने से काम नहीं चलेगा, जरूरत इस बात की है कि व्यापारियों को जो रेस्पैक्टेबिलिटी मिली हुई है, वह खत्म होनी चाहिए। आज इकानामिक आफेन्स करने वाले लोग जुर्माने देकर या थोड़ी बहुत रकम देकर छूट जाते हैं, इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता। इकानामिक आफेन्स करने वाले लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। यदि आप डी०आई० आर० और मीसा के तेहत कार्यवाही नहीं कर सकते, तो भी आप रेलवे एक्ट में संशोधन कर सकते हैं, एसेन्शल कमाडिटीज एक्ट के तेहत यह अधिकार ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके लिये अपने कानून को ठीक तरह से एक्जामिन करें, ऐसे लोगों का माल जब्त करने के साथ-साथ उनको जेल में भी डाला जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए, ताकि यह प्रवृत्ति हमेशा के लिये बन्द हो जाय।

मैं यह भी जानना चाहता हूं—क्या आपने इस पर भी विचार किया है कि इस बारे में राज्य सरकारों को लिखा जाय, गृह मंत्रालय की मारफत राज्य सरकारों पर दबाव डलवायें कि इस तरह के आफेन्स करने वाले लोग कहीं किसी तरह से जुर्माने और माल की जब्ती से ही न छूटें बल्कि उनके खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही भी हो।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी**: अध्यक्ष महोदय, रेलवे 19 करोड़ टन माल की ढुलाई करती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की अनस्कुमुलस एक्टिविटीज़ में इन्डल्ज होते हैं।

**श्री नवल किशोर शर्मा**: आज तो उनकी तादाद काफ़ी हो गई है।

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी**: मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि सब बेईमान हैं, लेकिन चन्द जरूर बेईमान हैं जो बेईमानी करके नाजायज फायदा उठाते हैं। उनके खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिये हमने फैसला किया है कि टाइम को कम कर देंगे। अगर इसमें कोई कानूनी रुकावट आई तो उसको दूर किया जा सकता है।

लेकिन जहां तक रेलवे की वैगन्ज के इस्तेमाल का ताल्लुक है अगर इनके इस्तेमाल में कोई रुकावट पैदा होती है तो उसको दूर करने के लिये, जैसा मेम्बर साहब ने कहा है, हम को कानून में कोई तरमीम लानी पड़ेगी और वह तरमीम हम जरूर लायेंगे, क्योंकि बदले हुए हालात के तेहत अगर कानून न बदला जाय तो वह कानून बेकार हो जाता है।

---

**13.24 hrs.**

## COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

### TWENTY-EIGHTH AND TWENTY-NINTH REPORTS

**SHRI D. BASUMATARI** (Kokrajhar): I beg to present the folowing Reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:—

(1) Twenty-eighth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Fourteenth Report on the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel)—Reservations for, and employment of, scheduled castes and scheduled tribes in (i) the Hindustan Steel Limited (Headquarters Organisation); (ii) Bhilai Steel Plant; (iii) Rourkela Steel Plant; (iv) Durgapur Steel Plant; and (v) Bokaro Steel Limited.

(2) Twenty-ninth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Nineteenth Report on the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing)—Reservation for, and employment of, scheduled castes and scheduled tribes in selected Major Ports *viz.*, Bombay, Mormugao and Cochin on West Coast; and Madras, Visakhapatnam and Calcutta on East Coast

---

**13.26 hrs.**

## PETITION *RE* NATIONALISATION OF PLANTATION INDUSTRY AND TRADE

**SHRI BIREN DUTTA** (Tripura West): I beg to present a petition signed by Shri Rattan Lal Brahman, Vice-President, All-India Plantation Workers Federation, Calcutta, and others regarding nationalisation of plantation industry and trade.

---

## STATEMENT CORRECTING ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 668 *RE* UNIFORMITY IN SELECTION ETC. OF VICE-CHANCELLORS

**MR. SPEAKER**: Prof. Nurul Hasan may lay the statement on the Table.